डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

मोहान रोड, लखनऊ: 226 017 दूरभाष नं0–8004930056/0522-2999862/2998380/1/2/3294434 वेबसाइट: http://dsmru.up.nic.in

प्रेषक

कुलसचिव,
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

1. **कुलपति / अध्यक्ष,**
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
   लखनऊ।
2. **निदेशक,**
   दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. **समस्त विभागाध्यक्षगण,**
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
   लखनऊ।
4. **विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य,**
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
   लखनऊ।
5. **कुलसचिव / सदस्य सचिव,**
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
   लखनऊ।
6. **डॉ0 संजीव गुप्ता,**
   एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
   लखनऊ।
7. **श्री आशीष गुप्ता,**
   असिस्टेण्ट प्रोफेसर, दृष्टिबाधितार्थ विभाग,
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
   लखनऊ।

पत्रांक : 795 / फासं–568 / डीएसएमएनआरयू / वि0परि0 / सप्तम बैठक / 2018–19 दिनांक: 09/08.2018

विषयः–डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की विद्या–परिषद की सप्तम् बैठक दिनाँक 08.08.2018 के कार्यवृत्त के प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की विद्या–परिषद की सप्तम् बैठक दिनांक 08.08.2018 में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जाने का मुझे निदेशक हुआ है।

<u>संलग्नकः–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

के विद्या परिषद की

सातवीं बैठक दिनाँकः 08 अगस्त, 2018 का कार्यवृत्त

समय –	सायं: 04:00 बजे
स्थान –	पंचम तल स्थित सभागार डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा0 विद्या परिषद की 7वीं बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही।

बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

एजेण्डा बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/7	विद्या परिषद की षष्ठम–बैठक हेतु निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में।
	निर्णयः– मा0 विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/7	विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकायान्तर्गत बी0टेक0 पाठ्यक्रम के 05 विभागों एवं विश्वविद्यालय के संचालित अन्य विभागों में मानदेय आधारित शैक्षिक संवर्ग की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के बारे में विचार।
	निर्णयः–क) मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकायान्तर्गत बी0टेक0 पाठ्यक्रम में 05 विभागों का संचालन किया जा रहा है। अधिष्ठाता, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी द्वारा अवगत कराया गया कि स्ववित्तपोषित बी0टेक0 पाठ्यक्रम के 05 विभागों में शिक्षक पूर्व में संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए हैं एवं उन्हें पूर्व से 40,000/– प्रतिमाह मानदेय का प्राविधान किया गया है। विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकायान्तर्गत बी0टेक0 पाठ्यक्रम के 05 विभागो में मानदेय आधारित शैक्षिक संवर्ग की नियुक्ति के संबंध निम्नलिखित निर्णय लिया गया:– 1. डॉ0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ (ए0 के0 टी0 यू0) द्वारा फैकल्टी के चयन के संबंध में विगत माह में करायी गयी परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु तैयार की गयी सूची विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर ली जाए। विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि व्याख्याता के चयन के समय इस सूची पर भी विचार किया जा सकता है। 2. बी0टेक0 पाठ्यक्रम में चयनित संविदा शिक्षकवृन्द को प्रतिमाह अधिकतम धनराशि रू0 40,000/– की सीमा के अन्तर्गत प्रतिदिन अधिकतम 04 व्याख्यान व रू0 450/–प्रति व्याख्यान की दर से मानदेय प्रदान किया जाए। ख) विश्वविद्यालय में संचालित अन्य विभागों के अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/आचार्यगण द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय विभागों में शिक्षकवृन्दों की नियमित नियुक्ति न होने

(Madhurendra Kumar Parvat)
Registrar
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
...al Rehabilitation University,

के कारण अतिथि व्याख्याता के माध्यम से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। इस हेतु उक्त अतिथि व्याख्याताओं को अधिकतम रू0 25,000/– प्रति माह की सीमा के अन्तर्गत प्रतिदिन अधिकतम 03 व्याख्यान, रू0 300/– प्रति व्याख्यान मानदेय के रूप में व प्रतिदिन यात्रा भत्ता रू0 100/– की दर से दिए जाने का प्रावधान है। तद्क्रम में सदस्यगण द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि व्याख्याताओं को दिए जाने वाला निर्धारित मानदेय कम है जिसमें वृद्धि किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

मा0 विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के संचालित अन्य विभागों में मानदेय आधारित अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए गए:–

अ) अतिथि व्याख्याताओं के इम्पैनलमेन्ट हेतु –

1. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अतिथि व्याख्याता के इम्पैनलमेन्ट हेतु संबंधित विभागों के अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष एवं 01 वाह्य विशेषज्ञ सदस्य की एक समिति का गठन किया जाए।

2. विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में विभाग की आवश्यकतानुसार अतिथि व्याख्याओं के इम्पैनलमेन्ट हेतु समग्र रूप से एक विज्ञापन ("Offers are invited for Empanelment as Guest Faculty in Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow to deliver lectures in .... subjects) प्रकाशित कराया जाए।

3. विश्वविद्यालय में इम्पैनल किए जाने वाले अतिथि व्याख्याताओं हेतु शैक्षित अर्हता एवं अनुभव तथा उसके अनुरूप दिए जाने वाले अंकों का निर्धारण निम्नानुसार किए जाने का निर्णय लिया गया :–

क. सं.	अर्हताएं		अनुभव	आयु	वरीयता
	शैक्षिक अर्हता	अधिकतम अंक			
1	स्नातक स्तर	20	प्रतिवर्ष अध्यापन हेतु 02 अंक निर्धारित, किन्तु अधिकतम 30 अंक।	70 वर्ष से अधिक नहीं।	सेवानिवृत्त शिक्षकगण को वरीयता
	परास्नातक स्तर	20			
	जे0आर0एफ0/ एस0आर0एफ0	05			
	पी0एच0डी0	05			
	शोध पत्र प्रकाशन (अन्तर्राष्ट्रीय–02 अंक, राष्ट्रीय–01 अंक)	05			
	साक्षात्कार	10			
	प्रस्तुतिकरण	05			

ब) विश्वविद्यालय में (स्ववित्त पोषित कार्यक्रमों से इत्तर) अतिथि व्याख्याता/इंटरप्रेटर हेतु निर्धारित मानदेय

क. सं.	प्रतिदिन निर्धारित अधिकतम व्याख्यानों की सख्या	प्रति व्याख्यान देय धनराशि	प्रतिदिन यात्रा भत्ता हेतु निर्धारित धनराशि	प्रतिमाह अधिकतम देय धनराशि
अतिथि व्याख्याताओं हेतु निर्धारित मानदेय				
1	04	400.00	200.00	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित सीमान्तर्गत
इंटरप्रेटर हेतु निर्धारित मानदेय				
2	04	300.00	200.00	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित सीमान्तर्गत

(Madhurendra Kumar Parvat)
Registrar
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

स) विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में विभागवार आवश्यकतानुरूप अतिथि व्याख्याताओं की मांगसूची तत्काल कुलसचिव कार्यालय को हस्तगत करायी जाए।

द) विश्वविद्यालय में सत्रावकाश की अवधि में अतिथि व्याख्याताओं द्वारा गैर–अध्यापन कार्य के लिए रू0 175/– प्रतिघंटा मानदेय का भुगतान विभागाध्यक्ष/विभागीय संस्तुति के उपरान्त ही किया जाएगा।

ध) प्रख्यात् शिक्षकवृन्द (जिन्हे विषय विशेषज्ञ के रूप में कुलपति द्वारा नामित/अनुमोदित किया जाए) को विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किए जाने की स्थिति में रू0 2000/– प्रति घंटा अथवा प्रति व्याख्यान रू0 3000/– (जो भी कम हो) एवं नियमानुसार वास्तविक यात्रा–भत्ता देय होगा।

3/7 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध टी.एस. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ में शैक्षिक सत्र 2017–18 से संचालित M.Sc. in Medical (Anatomy, Physiology, Biochemistry, Microbiology and Pharmacology) पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या (सिलेबस) एवं पाठ्यक्रम अवधि के अनुमोदन के संबंध मे।

निर्णयः–मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध टी.एस. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ द्वारा शैक्षिक सत्र 2017–18 से संचालित M.Sc. in Medical (Anatomy, Physiology, Biochemistry, Microbiology and Pharmacology) पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या (सिलेबस) हेतु उक्त संस्थान की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ द्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद में संचालित उक्त पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या को अंगीकृत किया गया है। परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम संचालित न होने के कारण वर्तमान में विश्वविद्यालय में संबंधित विषय हेतु बोर्ड ऑफ स्टडीज का गठन नहीं हुआ है।

मा0 विद्या परिषद् द्वारा उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया कि टी.एस. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ में संचालित उपरोक्त विषयों हेतु विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का गठन किया जाए जिसमें वाह्य विशेषज्ञों को नामित किया जाए। विश्वविद्यालय द्वारा गठित बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की बैठक में संबंधित पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या (सिलेबस) को विचारार्थ प्रेषित किया जाए। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ उक्त पाठ्यचर्या को अपनी संस्तुति सहित कुलपति महोदय को प्रेषित करेगी। पाठ्यचर्या के अनुमोदन व अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 विद्या परिषद् द्वारा कुलपति, विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया।

4/7 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सेंट्रल पब्लिक स्कूल, लखनऊ में शैक्षिक सत्र 2018–19 से संचालित किए जाने वाले बी.एल.एड. पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या (सिलेबस) के संबंध में।

निर्णयः– मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सेंट्रल पब्लिक स्कूल, लखनऊ में शैक्षिक सत्र 2018–19 से संचालित किए जाने वाले बी.एल.एड. पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या (सिलेबस) हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित उक्त पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या को अंगीकृत किया गया है।

मा0 विद्या परिषद द्वारा उक्त का संज्ञान लेते हुए सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि संबंधित पाठ्यचर्या को विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को विचारार्थ प्रेषित किया जाए। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ उक्त

(Madhurendra Kumar Parvat)
Registrar
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

	पाठ्यचर्या को अपनी संस्तुति सहित कुलपति महोदय को प्रेषित करेगी। पाठ्यचर्या के अनुमोदन व अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 विद्या परिषद् द्वारा कुलपति, विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया।
5/7	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु। 1. विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत बी–टेक पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में। **निर्णय–** मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में बी–टेक पाठ्यक्रम में डॉ. ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ (ए.के.टी.यू.) द्वारा ली गयी राज्य प्रवेश परीक्षा की मेरिट से प्रवेश लिया जा रहा था। अधिष्ठाता, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय द्वारा अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में इन पाठ्यक्रमों में उक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट से प्रवेश लिए गए विद्यार्थियों की संख्या लगभग 112 है, जो पर्याप्त नहीं है। साथ ही अवगत कराया गया कि चूंकि उक्त पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित है, अतः पाठ्यक्रम संचालन हेतु अधिकतम सीटें भरा जाना अपरिहार्य है। साथ ही अवगत कराया गया कि ए.के.टी.यू. एवं लखनऊ विश्वविद्यालय में भी उक्त पाठ्यक्रम की सीटें खाली रह गयीं हैं। मा0 विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त पाठ्यक्रमों में अधिकतम सीटें भरे जाने के लिए ए.के.टी.यू. एवं लखनऊ विश्वविद्यालय की भांति कक्षा 12 की मेरिट लिस्ट के आधार पर रिक्त सीटों को भर लिया जाए। 2. विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) में सीटें न भरने के संबंध में। **निर्णय–** मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न गैर–व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, जिनमें सीटें पूर्णतः नहीं भर पाईं हैं, उनकी सीटें भरे जाने हेतु समय और प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। मा0 विद्या परिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जिन गैर–व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सीटें पूर्णतः नहीं भर पाई हैं, के लिए 18 अगस्त, 2018 तक समय प्रदान किया जाए। साथ ही उन समस्त पाठ्यक्रमों, जिनमें सीटें शेष हैं, का विवरण निदेशक, परीक्षा के माध्यम से कुलसचिव विश्वविद्यालय को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाए। 3. विश्वविद्यालय में पी–एच0डी0 अध्यादेश के संशोधित आलेख के संबंध में। **निर्णय–** प्रो. डी0एन0 सिंह, आचार्य, हिन्दी विभाग द्वारा मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि पी–एच0डी0 अध्यादेश का संशोधित आलेख तैयार कर लिया गया है। उक्त का संज्ञान लेते हुए मा0 विद्या परिषद द्वारा यह निर्णय लिया

(Madhurendra Kumar Parvat)
Registrar
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

गया कि विश्वविद्यालय के पी0एच0डी0 अध्यादेश पर अनुमोदन/अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया। साथ ही मा0 विद्या परिषद द्वारा यह भी निर्देश प्रदान किए गए कि उक्त पी0एच0डी0 अध्यादेश का आलेख विद्या परिषद के समस्त सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाए। मा0 विद्या परिषद् के समस्त सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे उक्त अध्यादेश के सम्बन्ध में अपना मन्तव्य यथाशीघ्र प्रेषित कर दें ताकि उन पर विचार कर यथावश्यकता आलेख को संशोधित करते हुए उसे अन्तिम रूप दिया जा सके। मा0 सदस्यों द्वारा इस हेतु निम्न प्रारूप पर अपने सुझाव/मन्तव्य प्रेषित किए जा सकते हैं –

प्रस्तावित पी0एच0डी0 अध्यादेश का प्रस्तर/बिन्दु संख्या	पी0एच0डी0 अध्यादेश का वर्तमान में प्रस्तावित आलेख	प्रस्तावित संशोधित आलेख	अभ्युक्ति/औचित्य

अन्त में मा0 विद्या परिषद की बैठक का सधन्यवाद समापन किया गया।

(Madhurendra Kumar Parvat)
Registrar
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow